छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2007 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2007

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के संचालन में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

1. (*क्र. 724) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की कितनी दुकानें हैं ? इन दुकानों में कितने कार्डधारियों के लिए सामग्री आवंटित होती है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) रायपुर, महासमुंद, कोरिया, जशपुर एवं दुर्ग जिलों में 01 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2006 तक कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में आवंटित की गयी ? क्या आवंटित की गई सामग्री का पूरा-पूरा उठाव हुआ ? (ग) क्या रायपुर जिले के गरियाबंद क्षेत्र में संचालित पी. डी. एस. दुकानों के संचालन में गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही हुई ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान में 10,060 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं. इन उचित मूल्य दुकानों से जिलेवार संलग्न राशनकार्डधारियों की संख्या † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) प्रश्नांकित अवधि के दौरान रायपुर, महासमुंद, कोरिया, जशपुर एवं दुर्ग जिलों को आवंटित, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्रियों के आवंटन एवं उठाव की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (ग) जी हां. रायपुर जिले के गरियाबंद क्षेत्र में संचालित 10 उचित मूल्य दुकानों द्वारा अनियमितता किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिन्हें जांच उपरांत निरस्त किया गया तथा प्रतिभूति राशि राजसात की गई.

सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत कृषकों को स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई उपकरण का प्रदाय

2. (*क्र. 396) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को अनुदान पर स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई उपकरण बांटने हेतु किस-किस जिले एवं विकासखंड का चयन किया गया है ? (ख) 31 जनवरी, 07 की स्थिति में कितने किसानों का चयन स्प्रिंकलर सेट हेतु तथा कितने किसानों का चयन ड्रिप सिंचाई उपकरण पर अनुदान बांटने हेतु कर लिया गया है ? (ग) दुर्ग जिले के साजा विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित अवधि में चयनित किसानों की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को अनुदान पर स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई उपकरण बांटने हेतु राज्य के समस्त 16 जिले एवं 146 विकासखण्डों का चयन किया गया है. (ख) 31जनवरी, 2007 की स्थिति में स्प्रिंकलर सेट हेतु 6294 एवं ड्रिप सिस्टम हेतु 520 किसानों को अनुदान देने हेतु चयन किया गया है. (ग) दुर्ग जिले के साजा विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित अवधि में स्प्रिंकलर वितरण हेतु कुल 118 किसानों का चयन किया गया है.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत राजनांदगांव में स्वीकृत राशि

3. (*क्र. 95) **श्री उदय मुदलियार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव में 02 फरवरी, 2006 से 31 जनवरी, 2007 तक किन-किन सब-डिवीजनों में कौन-कौन से कार्यों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? संभागवार, कार्यवार, राशिवार जानकारी देवें. (ख) क्या सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? (ग) यदि नहीं, तो कार्यों की क्या स्थिति है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) राजनांदगांव जिले में दिनांक 02 फरवरी, 2006 से 31 जनवरी, 2007 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल 10 उपसंभागों में 72 कार्य हेतु रुपये 831.57 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है. संभागवार, उपसंभागवार,

† परिशिष्ट "एक"

कार्यवार, राशिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. (ख) जी नहीं. (ग) स्वीकृत कुल 72 कार्यों में से 02 कार्य पूर्ण, शेष 70 कार्यों में से 60 कार्य प्रगति पर एवं 10 कार्य प्रारंभ नहीं किये जा सके हैं. इन कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानों का संचालन

4. (*क्र. 489) महन्त रामसुन्दर दास : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितनी उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है ? कितनी-कितनी उचित मूल्य की दुकानें निजी डीलर, लेम्पस, ग्राम पंचायत, सहकारी संस्था, स्व-सहायता समूह एवं अन्य संस्था द्वारा संचालित है ? पृथक-पृथक बतायें ? (ख) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानों का संचालन कहां-कहां एवं किनके-किनके द्वारा किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 574 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनमें से निजी डीलर एवं लेम्पस द्वारा दुकान संचालित नहीं है. एजेंसियों द्वारा संचालित दुकानों की जानकारी निम्नानुसार है :-

ग्राम पंचायत	-	165
प्राथमिक कृषि साख समिति	-	184
स्व-सहायता समूह	-	197
अन्य सहकारी समिति	-	28

(ख) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों की एजेंसीवार एवं स्थानवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

प्रदेश में खरीदे गये धान का भण्डारण

5. (*क्र. 740) श्री महेन्द्र कर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 01 नवम्बर, 06 से 31 जनवरी, 07 तक कुल कितना धान खरीदा गया ? (ख) खरीदे गये धान में से कितने धान का भण्डारण शासकीय गोदामों में किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नांकित अवधि के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य शासन द्वारा 3556090.59 मे. टन धान की खरीदी की गई है. (ख) प्रश्नांकित अवधि में खरीदे गए धान में से 58284.90 मे. टन धान का भण्डारण शासकीय गोदामों में किया गया है.

नि:शुल्क गाय तथा बैल का वितरण

6. (*क्र. 686) श्री धर्मजीत सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में 01 फरवरी, 2007 तक की स्थिति में जिला-बिलासपुर, जिला-कोरबा, जिला-जगदलपुर एवं जिला-कवर्धा में कितने हितग्राहियों (आदिवासियों) को नि:शुल्क गाय एवं बैल का वितरण किया गया है ? विकासखण्डवार आंकड़े दें ? (ख) क्या यह सत्य है कि उक्त अवधि में बांटे गये अधिकांश गायें एवं बैल बीमारी एवं चारा, दवाई के अभाव में मर गई हैं ? यदि हां, तो किस विकासखण्ड में कितनी गायें एवं बैल मर गये हैं, विकासखण्डवार विवरण दें ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) विवरण निम्न है :-

क्र.	जिला	वर्ष 2005-2006		वर्ष 06-07 (1 फरवरी 07 तक)		योग	
		गाय	बैलजोड़ी	गाय	बैलजोड़ी	गाय	बैलजोड़ी
1.	बिलासपुर	1208	-	-	1096	1208	1096
2.	कोरबा	-	3000	-	1177	-	4177
3.	जगदलपुर	2403	1202	3564	1013	5967	2215
4.	कवर्धा	-	-	-	-	-	-

विकासखण्डवार वितरण की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) जिला जगदलपुर में वितरित 5967 गायों में से 670 गायें एवं जिला बिलासपुर में वितरित 1208 गायों में से 350 गायों की मृत्यु हुई है. इस प्रकार कुल वितरित 7175 गायों में से 1020 गायें मृत हुई. इसी प्रकार जिला बिलासपुर में

† परिशिष्ट "दो"   †† परिशिष्ट "तीन"

वितरित 1096 बैलजोड़ी में से 21 बैल तथा जिला कोरबा में वितरित 4177 बैलजोड़ी में से 222 बैलों की मृत्यु हुई, इस प्रकार कुल 5273 बैलजोड़ी में से 243 बैलों की मृत्यु हुई, जो कि 2.30% है. मृत्यु का प्रमुख कारण यह है कि :-

1. हितग्राहियों द्वारा पशुओं की उचित देखभाल नहीं करना.
2. पशुओं को पर्याप्त चारा, दाना उपलब्ध न होने के कारण कुपोषण की स्थिति में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में कमी.
3. अध्ययन एवं पोस्टमार्टम परीक्षण में पाया गया कि कुल मृत पशुओं में लगभग 53% पशु पेट में पालिथीन व कमजोरी के कारण मरे.
4. पशु चिकित्सक को समय पर बीमारी की सूचना नहीं देना.

यह सत्य नहीं है कि बांटे गये अधिकांश गायें एवं बैल बीमारी एवं चारा, दवाई के अभाव में मर गई है, बल्कि विभाग द्वारा पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर, उपचार, टीकाकरण, डी-टिकिंग, डी-वर्मिंग निरंतर किया जा रहा है, साथ ही हितग्राहियों को धान-पैरा उपचार एवं पशुपालन संबंधी अन्य जानकारी/प्रशिक्षण दिया जा रहा है. नेशनल डेयरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा के अध्ययन अनुसार, व्यवस्थित प्रक्षेत्रों में भी दुधारू गायों में 14.17% मृत्यु दर पाई गई है. विकासखण्डवार मृत गाय एवं बैल की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र- "ब" में है.

मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना से उद्योगों को जल आवंटन

7. (*क्र. 507) **श्री भूपेश बघेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में स्थित मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना की कुल जलग्रहण क्षमता कितनी है? (ख) क्या उपरोक्त परियोजना से उद्योगों हेतु जल का आवंटन किया जा चुका है? यदि हां, तो किस-किस उद्योग को कितना-कितना जल आवंटित किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) कोरबा जिले में स्थित मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना की कुल जल ग्रहण क्षमता 3416 मिलियन घन मीटर है. (ख) परियोजना से उद्योगों हेतु आरक्षित 441 मिलियन घन मीटर में से 400.809 मिलियन घन मीटर विभिन्न उद्योगों को आवंटित किया जा चुका है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	उद्योग का नाम	जल मात्रा (मि.घ.मी. में)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (पूर्व)	37.500
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (पश्चिम)	26.000
3.	बाल्को/कोरबा	10.200
4.	आई.बी.पी. कोरबा	0.156
5.	एस.ई.सी.एल. कोरबा	0.963
6.	एस.ई.सी.एल. कुसमंडा	1.490
7.	एन.टी.पी.सी. कोरबा	110.000
8.	एन.टी.पी.सी. सीपत	120.000
9.	छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पूर्व) के नये प्रस्तावित पावर प्लांट	24.000
10.	छ. ग. राज्य विद्युत मंडल, कोरबा (पश्चिम एवं पूर्व) के नये प्रस्तावित पावर प्लांट	26.000
11.	बाल्को, कोरबा के विस्तारीकरण हेतु आवंटन	26.000
12.	बी.सी.सी.पी. बाल्को, कोरबा हेतु	18.000
13.	के.व्ही.के. बायो एनर्जी प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा अमरताल (अकलतरा) के प्रस्तावित पॉवर प्लांट.	0.500
	कुल योग	400.809

धान खरीदी केन्द्रों में देय मण्डी शुल्क

8. (*क्र. 59) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2005-06 में धान खरीदी के विरुद्ध सहकारी समिति द्वारा मंडियों को कितनी राशि का मण्डी शुल्क देय था? जिलेवार, मण्डीवार, वर्षवार जानकारी दें? (ख) उक्त अवधि में मण्डी

†† परिशिष्ट "तीन"

शुल्क के रूप में कितनी राशि जमा की जा चुकी है तथा कितनी राशि जमा कराया जाना शेष है तथा अभी तक जमा न करने के क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश में वर्ष 2005-06 में धान खरीदी के विरुद्ध सहकारी समिति द्वारा मंडियों को कुल राशि रुपये 42,06,99,052/- मंडी शुल्क देय था. जिलेवार, मंडीवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. (ख) उक्त अवधि में मंडी शुल्क के रूप में राशि रुपये 41,59,44,660/- जमा की जा चुकी है तथा राशि रुपये 47,54,392/- जमा कराया जाना शेष है. शेष राशि जमा करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

रतन जोत जर्म प्लाज्म की चोरी पर कार्यवाही

9. (*क्र. 297) **डॉ. शक्राजीत नायक** (श्री नंदकुमार पटेल, श्री त्रिलोचन पटेल) : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतन जोत जर्मप्लाज्म चोरी की जांच हेतु गठित कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की जांच रिपोर्ट राज्य शासन को कब प्रस्तुत की गयी ? प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या-क्या हैं तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) उपरोक्त जांच समिति ने कौन-कौन वैज्ञानिक एवं अधिकारियों को दोषी पाया है ? दोषी लोगों के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा एवं राज्य शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) नेशनल बायो डायवरसिटी अथारिटी ने उपरोक्त जर्मप्लाज्म के दुरुपयोग विषय पर जांच प्रतिवेदन राज्य शासन को कब प्रस्तुत किया है और जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) राज्य शासन को जांच प्रतिवेदन दिनांक 12-09-2006 को प्रस्तुत किया गया है. जांच प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 पर है. की गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्नांश ख के प्रत्युत्तर में दर्शाई गयी है. (ख) जांच समिति द्वारा दोषी पाये गये वैज्ञानिक/अधिकारी के नाम संलग्न परिशिष्ट 1 में दर्शाये गये हैं. दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु महामहिम राज्यपाल सचिवालय के पत्र क्र. 831, दिनांक 13-02-2007 द्वारा कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को आदेश दिये गये हैं जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 में अंकित है. तद्नुसार संबंधित द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी. (ग) नेशनल बायो डायवर्सिटी अथारिटी का जांच प्रतिवेदन कृषि विभाग को दिनांक 27-4-2006 को प्राप्त हुआ है. इसके अतिरिक्त कुल सचिव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 8-8-2006 के माध्यम से नेशनल बायो डायवर्सिटी अथारिटी, चेन्नई से प्राप्त अंतिम रिपोर्ट एवं निष्कर्ष की छायाप्रति भी विभाग को प्राप्त हुई है. नेशनल बायो डायवर्सिटी अथारिटी के जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों को भी दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा गठित जांच समिति ने अपना निष्कर्ष दिया है. अतः प्रश्नांश-"ख" के उत्तर में दी गई जानकारी अनुसार ही कार्यवाही की गई है.

किसान समृद्धि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य

10. (*क्र. 139) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के तहत वर्ष 2005-2006 एवं 2006-2007 में किसान समृद्धि योजना में कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? (ख) लक्ष्य के विरुद्ध कितने प्रकरण बनाये गये एवं कितने स्वीकृत हुये ? कितने कृषकों को कितनी-कितनी अनुदान की राशि प्रदाय की जा चुकी है ? कितने शेष है तथा इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र हेतु किसान समृद्धि योजनांतर्गत वर्ष 05-06 के लिए 150 एवं वर्ष 06-07 के लिए 227, कुल 377 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. (ख) लक्ष्य के विरुद्ध बनाये गये एवं स्वीकृत प्रकरण, प्रदाय की गई अनुदान राशि एवं अनुदान हेतु शेष प्रकरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	बनाये गये एवं स्वीकृत प्रकरण	प्रदाय किये गये अनुदान		अनुदान हेतु शेष प्रकरण
				कृषक संख्या	राशि लाख में	
1.	2005-06	150	137	63	22.16	74
2.	2006-07	227	84	11	3.65	73
	योग	377	221	74	25.81	147

शेष 147 प्रकरण जिनमें कृषक द्वारा देयक प्राप्त होते ही अनुदान भुगतान कर दिया जावेगा.

जिला बिलासपुर के चांपी जलाशय में डुबान क्षेत्र में आने वाली जमीन का मुआवजा

11. (*क्र. 636) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिला अन्तर्गत चांपी जलाशय (कोटा) का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ ? (ख) उक्त जलाशय से कितने एकड़ जमीन में सिंचाई सुविधा दी जा रही है ? (ग) उक्त जलाशय में कितने किसानों की कितने एकड़ जमीन डूब में आयी है तथा कितने किसानों को मुआवजा अप्राप्त है ? (घ) मुआवजे का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) चांपी जलाशय का शीर्ष कार्य वर्ष 2003-04 में पूर्ण हुआ एवं नहर कार्य दिसम्बर, 2006 तक 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है. (ख) उक्त जलाशय से वर्ष 2006-07 में 3458 एकड़ खरीफ एवं 370 एकड़ रबी फसल भूमि में सिंचाई सुविधा दी गई है. (ग) उक्त जलाशय में 127 कृषकों की 238.65 एकड़ भूमि डूब में आई है. शेष 33 कृषकों को मुआवजा भुगतान अप्राप्त है. (घ) मुआवजा का भुगतान अर्द्धन्यायायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है, अत: निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में केरोसिन की पूर्ति

12. (*क्र. 228) **श्री चन्द्रभान बारमते** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा प्रति कार्डधारी को प्रत्येक माह में कितनी मात्रा में मिट्टी तेल दिये जाने का निर्देश जारी किया गया है ? क्या विद्युतीकृत गांवों एवं अविद्युतीकृत गांव, मजराटोला सभी के लिये एक ही मापदण्ड है ? (ख) बिलासपुर जिले के मुंगेली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत केरोसिन के लिये कितने कार्डधारी हैं और उन्हें केरोसिन किस माध्यम से वितरित किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) शासन द्वारा प्रति राशनकार्ड 3.85 लीटर के मान से प्रतिमाह मिट्टी तेल का आवंटन जिलों को दिया जाता है. जी हां. (ख) बिलासपुर जिले के मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 32,331 राशनकार्डधारी हैं, जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसिन का वितरण उचित मूल्य दुकानों तथा हाकर्स के माध्यम से किया जा रहा है.

मोंगरा बॅराज सिंचाई परियोजना में तकनीकी शिकायतों की जांच

13. (*क्र. 511) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मोंगरा बॅराज सिंचाई परियोजना की स्वीकृति जिला राजनांदगांव के अंतर्गत किस दिनांक को हुई तथा टर्नओवर पद्धति के तहत कुल कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाना है ? (ख) क्या यह सही है कि मोंगरा बॅराज सिंचाई परियोजना में गेट वर्क में 16 एम.एम. प्लेट की जगह 12 एम. एम. का प्लेट लगा हुआ है ? एवं गेट वर्क का एक्सरेग्राफी एवं रेडियोग्राफी परीक्षण नहीं हुआ है, तथा गेट निर्माणकर्त्ता कंपनी द्वारा बिना आईएसआई मार्क के लोकल वेल्डिंग रॉड का उपयोग किया गया है ? (ग) क्या यह भी सही है कि रेडियल गेट में टोनियन का तकनीकी रूप से सही निर्माण नहीं हुआ है जिसके कारण मोंगरा बॅराज के 3 से 4 गेट ऊपर नीचे नहीं उठाए जा सकते हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जिला राजनांदगांव के अंतर्गत मोंगरा बॅराज सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दिनांक 09-06-2003 को प्रदान की गई, तथा टर्नओवर पद्धति के तहत कोई कार्य नहीं किया गया, परन्तु उक्त कार्य लमसम निविदा के अंतर्गत कराया जा रहा है एवं जनवरी, 2007 तक रु. 11,172.88 लाख का भुगतान किया गया है. भुगतान हेतु रु. 888.24 लाख की राशि शेष है. (ख) मोंगरा बॅराज सिंचाई परियोजना के गेट वर्क में केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत ड्राईंग में प्रावधानित 12 एम. एम. एवं 10 एम. एम. मोटाई का प्लेट लगाया गया है. गेट वर्क का रेडियोग्राफी (एक्सरेग्राफी) परीक्षण भारत सरकार के प्रतिष्ठान परमाणु ऊर्जा नियंत्रक ऊर्जा नियामक परिषद्, मुम्बई द्वारा अधिकृत ऐसटोम इन्टरप्राइजेस, नागपुर द्वारा किया गया है. गेट निर्माणकर्त्ता कम्पनी द्वारा वेल्डिंग हेतु आई. एस. आई. मार्क का वेल्डिंग रॉड उपयोग में लाया गया है. (ग) जी नहीं.

कृषकों को गुणवत्ताहीन अदरक के बीजों का वितरण

14. (*क्र. 732) **श्री त्रिलोचन पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग ने कितने जिलों में कितने किसानों को एन. एच. एम. की स्कीम के तहत अदरक के बीज बांटे थे ? (ख) आवंटित बीज कितने हेक्टेयर में रोपित किए गए थे ? बीजों के आवंटन के पूर्व क्या इनकी गुणवत्ता का परीक्षण किया गया ? यदि हां तो कब और कहां ? (ग) क्या आवंटित बीजों की फसल से किसानों को नुकसान होने का मामला सामने आया है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) कृषि (उद्यानिकी) विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत "मसाला विकास योजना" के तहत राज्य के 7 जिलों बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग एवं कबीरधाम जिले के कुल 2939 कृषकों को अदरक का बीज वितरित किया गया. जिलेवार कृषक संख्या का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है. (ख) आवंटित बीज 240 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपित किये गये. जिलेवार रोपित रकबे का विवरण परिशिष्ट-1 पर है. बीज प्रदाय के पूर्व इसका परीक्षण हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन (ओडिसा यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नालाजी) पोतंगी, जिला कोरापुट (उड़ीसा) से कराया गया है. प्रमाण-पत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है. (ग) जी नहीं.

कस्टम मिलिंग हेतु राइस मिलों से किए गए अनुबंध

15. (*क्र. 569) **श्री नोवेल कुमार वर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान के कस्टम मिलिंग हेतु कुल कितने राइस मिलों से अनुबंध किया गया है ? (ख) क्या कंडिका (क) के वर्षों में निर्धारित मात्रा में से अधिक कनकी होने के फलस्वरूप किन-किन का अनुबंध निरस्त किया गया है ? अनुबंध निरस्त करने का दिनांक एवं कितने वर्षों के लिये निरस्त किया गया ? (ग) वर्ष 2005-06 में निर्धारित मात्रा से अधिक कनकी होने के फलस्वरूप जिन मिलर का अनुबंध निरस्त किया गया उन में से वर्ष 2006-07 में कितने राइस मिलों का अनुबंध पुन: किया गया है ? नाम दें.

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा खरीफ वर्ष 2005-06 में 1162 राईस मिलों से एवं 2006-07 में1134 राईस मिलों से अनुबंध किया गया. (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लिखित राईस मिलर्स द्वारा प्रदाय चावल में कनकी की मात्रा निर्धारित प्रतिशत से अधिक होने के फलस्वरूप कोई अनुबंध निरस्त नहीं किया गया. (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

भिलाई-दुर्ग वृहद पेयजल योजना हेतु खरखरा जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध

16. (*क्र. 121) **डॉ. बालमुकुन्द देवांगन** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भिलाई-दुर्ग वृहद पेयजल योजना हेतु खरखरा जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कोई अनुबंध किया गया है ? (ख) खरखरा एवं खरखरा मोंहदीपाट परियोजना द्वारा अनुबंधित किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के उपरांत भिलाई-दुर्ग वृहद पेयजल योजना को जल उपलब्ध कराने हेतु कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) जी नहीं. (ख) केवल खरखरा जलाशय में अनुबंधित किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के उपरांत सिर्फ दुर्ग पेयजल योजना के लिए 430 मि. घन फुट पानी उपलब्ध है.

एकीकृत उद्यानिकी परियोजना अंतर्गत खाद, बीज एवं दवाई का क्रय

17. (*क्र. 417) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर एकीकृत उद्यानिकी परियोजना अंतर्गत कृषकों को नि:शुल्क वितरण हेतु वर्ष 2006-07 में कितनी-कितनी धनराशि की खाद, बीज व दवाई का क्रय किया गया ? (ख) कितने कृषक इस योजना से लाभांवित हुए ? विकासखंडवार, पंचायतवार बतावें ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक-41-9/2005/हार्टि./कृषि भवन नई दिल्ली दिनांक 15 जुलाई, 2005 द्वारा योजना बंद कर दी गई है अत: बस्तर एकीकृत उद्यानिकी परियोजना अंतर्गत कृषकों को नि:शुल्क वितरण हेतु वर्ष 2006-07 में किसी भी प्रकार के खाद, बीज व दवाई का क्रय नहीं किया गया है. (ख) प्रश्नांश "क" के प्रत्युत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक.

खुड़िया बांध से सिंचाई का रकबा

18. (*क्र. 515) **श्री चुरावन मंगेशकर** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिला में स्थित खुड़िया बांध से कितने हेक्टेयर में सिंचाई होती है ? (ख) कृषकों से किस दर से सिंचाई राशि की वसूली की जाती है ? (ग) जरहागांव विधान सभा क्षेत्र में खुड़िया बांध से कितने ग्रामों में सिंचाई की जाती है ? सिंचित ग्रामों की जानकारी देवें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) बिलासपुर जिले में स्थित खुड़िया बांध से 45700 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है. (ख) कृषकों से जलकर रु. 81.00 एवं उपकर रु. 10.00 कुल रु. 91.00 प्रति एकड़ की दर से सिंचाई राशि की वसूली की जाती है. (ग) जरहागांव विधान सभा क्षेत्र में खुड़िया बांध से 154 ग्रामों में सिंचाई की जाती है. सिंचित ग्रामों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

बी.टी. राइस (धान) रोपित करने की जांच एवं कार्यवाही

19. (*क्र. 725) **श्री देवजी भाई पटेल** (श्री रविन्द्र चौबे, श्री मोहम्मद अकबर) : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में बी.टी. राइस (धान) रोपित किये जाने का मामला सामने आया है ? अगर हां तो कहां-कहां पर ? यह किस-किस ने रोपित किया था ? (ख) कंडिका "क" की फसल रोपित करने के पूर्व क्या शासन से अनुमति ली गई थी ? यदि नहीं तो बगैर अनुमति के इस कार्य को अंजाम देने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? नहीं तो क्यों ? (ग) कंडिका "क" के कार्य पर क्या शासन ने कोई जांच की है ? अगर हां, तो, कब और किसने यह जांच की ? जांच के क्या निष्कर्ष हैं ? (घ) कंडिका "क" की फसल के रोपण से क्या नुकसान हो सकते हैं ? क्या इस संबंध में किसानों को जागरूक करने की नीति राज्य शासन ने बनायी है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जी हां, ग्राम पुरैना, जिला रायपुर स्थित श्री जगदीश लाल अरोरा के प्रक्षेत्र में महाराष्ट्र हाईब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड द्वारा रोपित किया गया था. (ख) राज्य शासन से अनुमति नहीं ली गई, किन्तु भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा महिको को बी.टी. राईस पर प्रायोगिक परीक्षण आयोजन की अनुमति दी गई है. राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्नांश "ग" में दर्शाया गया है. (ग) जी हां. कृषि विभाग के आदेश क्रमांक 4966 दिनांक 24-11-2006 द्वारा इस घटना की जांच हेतु गठित दो सदस्यीय जांच समिति, जिसमें संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा अपर संचालक कृषि, संचालनालय कृषि शामिल है, द्वारा जांच की गई. जांच के निष्कर्ष पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर तथा जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है. जांच समिति के निष्कर्ष से सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को विभाग के पत्र क्रमांक-5031 दिनांक 29-11-2006 द्वारा अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की गई, जिसके तारतम्य में भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र क्रमांक-बी.टी./बी.एस./17/02/94 दिनांक 18-1-2007 के द्वारा अवगत कराया गया है कि, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा महिको को अनुसंधान प्रदर्शनों के क्रियान्वयन में आवश्यक सावधानियां रखने निर्देशित किया जा चुका है. यह भी अवगत कराया गया है कि आन द स्पाट परीक्षण के लिए एक स्वतंत्र दल (विशेषज्ञों सहित) भेजने पर विचार किया जा रहा है, जो भविष्य में आयोजित किये जाने वाले फील्ड ट्रायल्स में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के संबंध में कार्यवाही करेगी. (घ) बी. टी. धान का रोपण केवल प्रायोगिक स्तर तक सीमित है, अत: संभावित नुकसान की जानकारी देना संभव नहीं है. पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर यथा आवश्यक नीति निर्धारित की जावेगी.

प्रदेश में धान खरीदी की जानकारी

20. (*क्र. 94) **श्री उदय मुदलियार** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 01 नवम्बर, 2006 से 31 जनवरी, 2007 तक जिलेवार कुल कितने क्विंटल धान की खरीदी की गयी ? (ख) 01 नवम्बर, 2006 से 31 जनवरी, 2007 तक जिलेवार लिंकिंग में कितने क्विंटल धान की खरीदी की गयी ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नांकित अवधि के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य शासन द्वारा 3556090.59 मे. टन धान की खरीदी की गई. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) प्रश्नांकित अवधि में लिंकिंग के तहत राज्य शासन द्वारा 487106.44 मे. टन धान की खरीदी की गई. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

जिला जांजगीर-चांपा में वृष्टि छाया समृद्धि योजना का संचालन

21. (*क्र. 490) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कौन-कौन से जिले में वृष्टि छाया समृद्धि योजना संचालित है ? (ख) वृष्टि छाया समृद्धि योजना में सम्मिलित करने हेतु जिला एवं विकासखंड का मापदण्ड क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) कृषि विभाग के अंतर्गत वृष्टिछाया समृद्धि योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है. वृष्टिछाया क्षेत्रों में नलकूप खनन की "किसान समृद्धि योजना" राज्य के 5 जिलों रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर एवं कवर्धा के वृष्टिछाया क्षेत्र में आने वाले 25 विकासखण्डों में संचालित है. (ख) ऐसे क्षेत्र जहां किसी पर्वत श्रृंखला के अवरोध के फलस्वरूप नमीयुक्त मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाने के कारण अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, वृष्टिछाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें किसान समृद्धि योजना में शामिल किया गया है.

---

† परिशिष्ट "चार"

ठकुर दिया जलाशय में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

22. (*क्र. 528) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के बिलाईगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत ठकुर दिया जलाशय निर्माण में किन-किन ग्रामों की जमीन डुबान में आयी है ? (ख) उक्त जलाशय निर्माण में ग्राम चंदली एवं ग्राम गोंदली की कितनी जमीन डुबान में आयी हैं ? क्या इस जमीन की मुआवजा राशि दिनांक 31 जनवरी, 2007 की स्थिति में प्रदान की जा चुकी है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक वितरित कर दी जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) : (क) रायपुर जिले के बिलाईगढ़ विकास खण्ड के अंतर्गत ठाकुरदिया जलाशय निर्माण में ग्राम-गोंदली, चंदलीडीह, गेंड़ापाली एवं दर्रा की जमीन डुबान में आयी है. (ख) उक्त जलाशय निर्माण में ग्राम चंदलीडीह की 26.303 हेक्टेयर शासकीय एवं ग्राम-गोंदली की 17.6 हेक्टेयर निजी भूमि डुबान में आयी है. दिनांक 31-01-2007 की स्थिति में ग्राम-गोंदली की 16.694 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा रु. 3,05,932.00 का भुगतान किया जा चुका है. (ग) ग्राम-गोंदली की शेष निजी भूमि 0.906 हेक्टेयर के मुआवजा भुगतान की राशि भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ को उपलब्ध करायी जा चुकी है एवं भुगतान भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है, अत: भुगतान की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बीज सप्लाई

23. (*क्र. 741) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य सरकार को कितने रुपयों के कौन-कौन सी फसलों के बीज कब प्राप्त हुये थे ? (ख) बीजों की सप्लाई किस फर्म ने की थी ? क्या बीज अमानक पाये गये थे ? (ग) क्या किसानों को बीजों के साथ प्रतिरोधी दवायें भी दी गई थीं ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) इस योजना के तहत प्रदेश के कौन-कौन से जिलों एवं कितने हेक्टेयर भूमि में खेती की गई थी ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 (दिसम्बर अंत तक) विभाग को पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ में दर्शाये अनुसार फसलों के बीज बतलायी गई तिथियों में रु. 7,40,02,117/- (रु. सात करोड़ चालीस लाख दो हजार एक सौ सत्रह मात्र) के प्राप्त हुए. (ख) बीजों की आपूर्ति छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर के माध्यम से पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब में दर्शित प्रदायक फर्म द्वारा की गई थी. प्रदाय बीज अमानक स्तर के नहीं पाए गए. (ग) जी हां. प्रदत्त दवाईयों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स पर है. (घ) इस योजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों क्रमश: दुर्ग, बिलासपुर, कबीरधाम, जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा एवं सरगुजा में वर्ष 2005-06 में 2470.58 हेक्टेयर रकबे में खेती की गई एवं वर्ष 2006-07 में 4698.41 हेक्टेयर रकबे में खेती हेतु बीज वितरण किया जा रहा है. जिलेवार, फसलवार रकबे का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द पर है.

जांजगीर-चांपा जिले में धान का क्रय तथा भुगतान

24. (*क्र. 60) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 में जिला जांजगीर-चांपा के खरीदी केन्द्रों तथा उसमें शामिल ग्रामों के नाम क्या हैं ? इन खरीदी केन्द्रों में कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में बारदाने पहुंचाए गए ? केन्द्रवार जानकारी दें ? (ख) 31 जनवरी, 2007 की स्थिति में कुल कितनी मात्रा में जिला जांजगीर-चांपा के खरीदी केन्द्रों में धान क्रय किया गया था तथा 31-01-2007 तक बैंकों से कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है तथा कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2006-07 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु स्थापित धान खरीदी केन्द्रों तथा उसके अंतर्गत आने वाले गांवों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है. धान खरीदी केन्द्रों को उपलब्ध कराए गए बारदानों की तिथिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर है. (ख) प्रश्नांकित अवधि तक जिला जांजगीर-चांपा जिले के धान खरीदी केन्द्रों में कुल 3,99,765 मे. टन धान की खरीदी की गई. प्रश्नांकित अवधि तक बैंकों से किसानों को 2,17,45,43,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है, वर्तमान में किसानों को 5,11,96,000 रुपये का भुगतान किया जाना शेष है. कृषकों को भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है.

राईसमिलों में छापे के दौरान अनियमितता पर कार्यवाही

25. (*क्र. 635) डॉ. रेणु जोगी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में कौन-कौन से राईसमिलों में वर्ष 2005-06 में दिसम्बर तक माननीय कृषि मंत्री जी ने छापे की कार्यवाही की ? (ख) उन राईसमिलों में कौन-कौन सी अनियमितता पाई गई ? (ग) उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्ष 2005-06 में दिसम्बर तक माननीय कृषि मंत्री जी के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा पांच राईस मिल (1) जय बजरंग राईस मिल पेण्ड्रारोड, (2) आकाश राईस मिल पेण्ड्रारोड, (3) गोपाल आधुनिक राईस मिल, पेण्ड्रारोड, (4) शिवम मिनी राईस मिल पेण्ड्रारोड एवं (5) सुभाष गोयनका, पेण्ड्रारोड में छापे की कार्यवाही की गई. (ख) इन राईस मिलों में फर्जी तरीके से पतला चावल के स्थान पर मोटा चावल जमा कर पतला चावल जमा कराने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने संबंधी अनियमितता पाई गई. (ग) नागरिक आपूर्ति निगम के तीन कर्मचारियों सहित प्रश्नांश "क" में उल्लेखित मिलर्स के विरुद्ध पेण्ड्रारोड एवं मरवाही थानों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 724) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र. (1)	जिला (2)	उचित मूल्य दुकानों की संख्या (3)	दुकानों से संलग्न राशनकार्डों की संख्या (4)
1.	रायपुर	1073	722562
2.	धमतरी	278	127698
3.	महासमुन्द	378	216675
4.	बिलासपुर	1028	516831
5.	जांजगीर	574	342406
6.	कोरबा	412	216769
7.	दुर्ग	1271	688888
8.	राजनांदगांव	733	269347
9.	कवर्धा	373	133034
10.	रायगढ़	760	322185
11.	जशपुर	424	194928
12.	सरगुजा	1119	460328
13.	कोरिया	277	149137
14.	बस्तर	692	309755
15.	कांकेर	339	161020
16.	दंतेवाड़ा	329	139914
	योग	10060	4971477

प्रपत्र "ब"

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक सामग्रियों का जिलेवार आवंटन एवं उठाव की जानकारी

(जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक)

(मात्रा मे. टन/किलोलीटर में)

जिला	ए.पी.एल. चावल		ए.पी.एल. गेहूं		बी.पी.एल. चावल		बी.पी.एल. गेहूं		अन्त्योदय		अन्नपूर्णा		शक्कर		अमृत नमक		मिट्टी तेल	
	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
रायपुर	120629.00	742.72	25093.00	7337.01	66590.00	66138.31	6160.00	6377.38	33660.07	32955.01	464.61	424.60	6720.60	5170.17	7473.24	6320.69	26776.00	25776.00
महासमुन्द	29708.00	235.29	9631.00	1465.60	22767.00	22734.10	1283.50	942.00	12781.60	12027.70	121.40	115.39	2240.20	1461.80	2551.50	2253.30	8196.00	8184.00
कोरिया	23975.10	358.30	5718.80	1608.50	8140.00	8095.40	656.10	601.80	8403.7	7925.40	94.50	93.80	1004.60	699.30	1036.00	745.70	5604.00	5592.00
जशपुर	34453.00	50.44	6340.00	339.35	9725.00.	8799.74	653.00	574.22	11023.34	10166.78	79.66	72.49	1308.60	916.80	1450.10	1013.68	7704.00	7956.00
दुर्ग	103706.00	466.50	25247.00	7486.20	65537.40	61133.00	4992.60	4944.90	33166.60	30336.50	418.80	391.20	6349.40	4919.00	7350.00	5953.20	24768.00	24804.00

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 489) के भाग (ख) की जानकारी]

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में संचालित उचित मूल्य दुकानों की एजेंसीवार सूची

1. ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान

क्र. (1)	उचित मूल्य दुकान का नाम (2)	उचित मूल्य दुकान का स्थान (3)
1.	ग्राम पंचायत, तेन्दुवा	तेन्दुवा
2.	ग्राम पंचायत, हरदी	हरदी
3.	ग्राम पंचायत, कुथुर	कुथुर
4.	ग्राम पंचायत, किरीत	किरीत
5.	ग्राम पंचायत, धाराशिव (रो.)	धाराशिव (रो.)
6.	ग्राम पंचायत, मुड़पार (खि.)	मुड़पार (खि.)
7.	ग्राम पंचायत, भैंसमुड़ी	भैंसमुड़ी
8.	ग्राम पंचायत, अमोरा	अमोरा
9.	ग्राम पंचायत, ठाकुरदिया	ठाकुरदिया
10.	ग्राम पंचायत, दहिदा	दहिदा
11.	ग्राम पंचायत, बेल्हा	बेल्हा
12.	ग्राम पंचायत, उदयभांठा	उदयभांठा
13.	ग्राम पंचायत, पोड़ीराछा	पोड़ीराछा
14.	ग्राम पंचायत, पचरी	पचरी
15.	ग्राम पंचायत, बिलारी	बिलारी
16.	ग्राम पंचायत, पड़रिया	पड़रिया
17.	ग्राम पंचायत, मेकरी	मेकरी
18.	ग्राम पंचायत, भदरा	भदरा
19.	ग्राम पंचायत, कुटरा बोड़	कुटरा बोड़
20.	ग्राम पंचायत, बोरसी	बोरसी
21.	ग्राम पंचायत, हिर्री	हिर्री
22.	ग्राम पंचायत, बारगांव	बारगांव
23.	ग्राम पंचायत, मुड़पार (चु.)	मुड़पार (चु.)
24.	ग्राम पंचायत, बंसुला	बंसुला
25.	ग्राम पंचायत, बोरसी	बोरसी
26.	ग्राम पंचायत, बसंतपुर	बसंतपुर
27.	ग्राम पंचायत, सोनादाह	सोनादाह
28.	ग्राम पंचायत, नकटीडीह	नकटीडीह

2. स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान

1.	शबरी, म.स्व सहा. समूह ससहा	ससहा
2.	शांति स्व सहा. समूह, कोहका	कोहका
3.	शारदा म. स्व. सहा. पेन्ड्री	पेन्ड्री
4.	एकता, स्व सहा. समूह, चौराभांठा	चौराभांठा
5.	बसंती महिला, स्व. सहा. समूह, कुरियारी	कुरियारी
6.	महिला, स्व सहा. समूह, खोखरी	खोखरी
7.	महिला स्व सहा. समूह (मत्स्य), भिलौनी	भिलौनी
8.	महामाया महिला स्व. सहा. समूह, रिंगनी	रिंगनी

(1)	(2)	(3)
9.	मां मनका दाई स्व सहा. समूह, बुंदेला	बुंदेला
10.	माता स्व सहा. समूह, भौंतरा	भौंतरा
11.	त्रिवेणी महिला स्व सहा. समूह, रोगदा	रोगदा
12.	शिवबाबा म. स्व सहा. समूह, कर्रा	कर्रा
13.	पुस्तक धारणी म. स्व सहा. समूह, खोरसी	खोरसी
14.	राधा महिला स्व सहा. समूह, डुडगा	डुडगा
15.	रानी महिला स्व सहा. समूह, केसला	केसला
16.	संतोषी महिला स्व सहा. समूह, भूईगांव	भूईगांव
17.	सरस्वती म. स्व सहा. समूह, मेउ	मेउ
18.	सामली महिला स्व सहा. समूह, दर्री	दर्री
19.	सतरूपा म. स्व सहा. समूह, पनगांव	पनगांव
20.	चन्द्रासिनी म. स्व सहा. समूह, धनगांव	धनगांव
21.	जय कंकाली मां. म. स्व सहा. समूह, नेगुरडीह	नेगुरडीह
22.	जय मां मड़वारानी म. स्व सहा. समूह, चोरभट्ठी	चोरभट्ठी
23.	जय मां लक्ष्मी म. स्व सहा. समूह, धरदेई	धरदेई
24.	जय मौंरेया पाठ म. स्व सहा. समूह, कचन्दा	कचन्दा
25.	जय शारदा म. स्व सहा. समूह, खरखोद	खरखोद
26.	जय दुर्गा महिला स्व सहा. समूह, पेण्ड्री (नवा.)	पेण्ड्री (नवा.)
27.	ज्योति महिला स्व सहा. समूह, बनडबरा	बनडबरा
28.	जानकीबाई महिला स्व सहा. समूह, कटौद	कटौद
29.	जागृति महिला स्व सहा. समूह, कामता	कामता
30.	जवा बाई म. स्व सहा. समूह, बोरदा	बोरदा
31.	ज्वालामुखी म. स्व सहा. समूह, पकरिया (म.)	पकरिया (म.)
32.	नव जागृति स्व सहा. समूह, खैरा	खैरा
33.	अन्नपूर्णा म. स्व सहायता, पुठिया	पुठिया
34.	गंगा महिला स्व समूह, गिद्धा	गिद्धा
35.	गीतांजली म. स्व सहा. समूह, रसौटा	रसौटा
36.	महिला स्व सहायता समूह कोसा	कोसा (वार्ड क्र. 1 से 10)

3. **सहकारी संस्था (जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक) द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान**

1.	सेवा सहकारी समिति, बुड़ैना	बुड़ैना
2.	सेवा सहकारी समिति, अवरीद	अवरीद
3.	सेवा सहकारी समिति, केरा	केरा
4.	सेवा सहकारी समिति, मिस्दा	मिस्दा
5.	सेवा सहकारी समिति, नगारीडीह	नगारीडीह
6.	सेवा सहकारी समिति, महंत	महंत
7.	सेवा सहकारी समिति, तुसमा	तुसमा
8.	सेवा सहकारी समिति, मुड़पार (शि. ना.)	मुड़पार (शि. ना.)
9.	सेवा सहकारी समिति, गोधना	गोधना
10.	सेवा सहकारी समिति, कनस्दा	कनस्दा
11.	सेवा सहकारी समिति, सिउड़	सिउड़
12.	सेवा सहकारी समिति, सेमरा	सेमरा
13.	सेवा सहकारी समिति, खिसोरा	खिसोरा
14.	सेवा सहकारी समिति, सलखन	सलखन
15.	सेवा सहकारी समिति, नवागढ़	नवागढ़
16.	सेवा सहकारी समिति, तुलसी	तुलसी

(1)	(2)	(3)
17.	सेवा सहकारी समिति, भठली	भठली
18.	सेवा सहकारी समिति, कमरीद	कमरीद
19.	सेवा सहकारी समिति, कोसा	कोसा (वार्ड क्र. 11 से 20)
20.	सेवा सहकारी समिति, कोसला	कोसला
21.	सेवा सहकारी समिति, मेंहदी	मेंहदी
22.	सेवा सहकारी समिति, भिलौनी	भिलौनी
23.	से. स. सह. समिति, करनौद	करनौद
24.	सेवा सहकारी समिति, कपिस्दा	कपिस्दा
25.	सेवा सहकारी समिति, तालदेवरी	तालदेवरी
26.	सेवा सहकारी समिति, सेमरिया	सेमरिया
27.	सेवा सहकारी समिति, देवरानी	देवरानी
28.	सेवा सहकारी समिति, सिलादेही	सिलादेही
29.	सेवा सहकारी समिति, भैंसो	भैंसो
30.	सेवा सहकारी समिति, सेमरिया	सेमरिया
31.	सेवा सहकारी समिति, पामगढ़	पामगढ़
32.	सेवा सहकारी समिति, राहोद	राहोद
33.	सेवा सहकारी समिति, तनौद	तनौद
34.	सेवा सहकारी समिति, जेवरा	जेवरा
35.	सेवा सहकारी समिति, लोहर्सी	लोहर्सी
36.	सेवा सहकारी समिति, बिर्रा	बिर्रा
37.	सेवा सहकारी समिति, देवरी	देवरी

4. अन्य सहकारी संस्था द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान

1.	शबरी प्राथ. सह. उप. भंडार शिवरीनारायण	शिवरीनारायण
2.	विपणन सहकारी समिति, चण्डीपारा	चण्डीपारा
3.	प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, खरौद	खरौद (वार्ड क्र. 1 से 10 तक)
4.	प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, खरौद	खरौद (वार्ड क्र. 11 से 20 तक)

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 686) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विकासखण्डवार वितरित गाय एवं बैलजोड़ी

क्र.	जिला	विकासखण्ड	वर्ष 2005-2006		वर्ष 06-07 (1 फरवरी 07 तक)		योग	
			गाय	बैलजोड़ी	गाय	बैलजोड़ी	गाय	बैलजोड़ी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	बिलासपुर	गौरेला	1208	-	-	58	1208	58
		पेण्ड्रा	-	-	-	593	-	593
		मरवाही	-	-	-	445	-	445
2.	कोरबा	कोरबा	-	600	-	66	-	666
		पाली	-	600	-	321	-	921
		करतला	-	600	-	-	-	600
		पोड़ीउपरोड़ा	-	667	-	333	-	1000
		कटघोरा	-	533	-	457	-	990
3.	जगदलपुर	जगदलपुर	1199	-	300	185	1499	185
		कोण्डागांव	1204	-	297	-	1501	-
		बस्तर	-	-	323	-	323	-
		फरसगांव	-	-	1498	65	1498	65
		बकावंड	-	-	1146	-	1146	-
		नारायणपुर	-	843	-	100	-	943
		ओरछा	-	359	-	-	-	359
		बड़ेराजपुर	-	-	-	167	-	167
		तोकापाल	-	-	-	334	-	334
		केशकाल	-	-	-	72	-	72
		दरभा	-	-	-	36	-	36
		माकड़ी	-	-	-	54	-	54
4.	कवर्धा	-	-	-	-	-	-	-
		योग	3611	4202	3564	3286	7175	7488

प्रपत्र "ब"

मृत गाय एवं बैल की जानकारी

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	मृत संख्या	
			गाय	बैल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बिलासपुर	गौरेला	350	-
		पेण्ड्रा	-	21
2.	कोरबा	कोरबा	-	43
		करतला	-	18
		कटघोरा	-	32
		पाली	-	38
		पोड़ीउपरौड़ा	-	71
3.	बस्तर	जगदलपुर	348	-
		कोण्डागांव	282	-
		फरसगांव	22	-
		बकावंड	17	-
		बस्तर	01	-
		नारायणपुर	-	8
		ओरछा	-	2
4.	कवर्धा	-	-	-
		योग	**1020**	**233**

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 94) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

(मात्रा मेट्रिक टन में)

क्र.	जिला	धान की नगद खरीदी मात्रा	लिंकिंग में क्रय धान की मात्रा	धान का कुल उपार्जन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	722509.20	135003.10	857512.30
2.	धमतरी	248163.30	42325.00	290488.30
3.	महासमुन्द	294619.80	50126.40	344746.20
4.	बिलासपुर	236593.50	26566.00	263159.50
5.	जांजगीर	364731.03	35034.03	399765.06
6.	कोरबा	24880.66	3526.49	28407.15
7.	दुर्ग	495288.74	100336.22	595624.96
8.	राजनांदगांव	173537.88	33120.50	206658.38
9.	कवर्धा	50316.00	11112.00	61428.00
10.	रायगढ़	226809.37	13666.20	240475.57
11.	जशपुर	11770.18	576.30	12346.48
12.	सरगुजा	68063.18	13110.30	81173.48
13.	कोरिया	10378.52	1244.19	11622.71
14.	बस्तर	43774.17	6729.23	50503.40
15.	कांकेर	84871.00	13541.00	98412.00
16.	दंतेवाड़ा	12677.62	1089.48	13767.10
	योग	3068984.15	487106.44	3556090.59